

Tele No. 07109-288228.

No.: CBK / Notice /Kampt Cantt/ D- 114
Office of the Cantonment Board,
Chhaoni Parishad Karyalaya,
Kamptee - 441001. 24-04-2019.

NOTICE TO LESSEES

It is notified for the information of lessees / ex-lessees of defence land granted under Cantonment Code 1899 and 1912, Cantonment Land Administrative Rules (CLAR) 1925 and 1937, that Government of India, Ministry of Defence has formulated an interim policy to deal with (i) Extension of expired / expiring Cantonment Code Leases of 1899 and 1912 and leases under CLAR 1925 and 1937.

The instruction relate to the leases whose full term of lease period expired or are expiring before 31-12-2019 subject to certain terms and conditions. It is further informed that where the full term of those leases has expired on or before 31 December 2019, they will be renewed upto 31st December, 2019, subject to certain terms and conditions. The policy delegated powers to Committee headed by Principal Director, Defence Estate, Southern Command, Pune to decide on these cases. The policy letter is displayed on the Notice Board and Website of the Cantonment Board.


The lease of such properties, whose full and final terms as per original lease, executed between Govt of India, Ministry of Defence and the Lessees has since expired or is expiring before 31.12.2019, and there are no eviction orders, litigation are pending and transfer/ sub- lease or assignments of lease hold rights were made after full tenure of lease is over, only those cases will be considered for renewal upto 31.12.2019.

The rental of such properties will be fixed based on the STR rates, prevailing on the date of expiry of such leases. The GLR Sy No of Gora Bazar and Cavalary Bazar of Kamptee Cantonment viz.: 136/81, 136/98, 136/101, 136/115, 136/199, 136/200, 136/201, 136/204, 136/205, 136/210, 136/213, 136/214, 136/223, 136/247, 301/11-A, 301/12, 301/25, 301/44, 301/45, 301/47, 301/48, 301/49, 301/50 are expired or expiring before 31-12-2019.

Extension of lease upto 31-12-2019 will not regularize the breach of terms and condition of original lease and also accepting the rent upto the said period will only regularize the occupation of the occupants of the defence land.

Cases where encroachment on adjoining defence land are involved, renewal of lease to the extent of authorised leased area, will only be considered.

The above said GLR Sy Number's lessees / occupants of such properties and other such properties whose full term lease has since expired or is expiring before 31.12.2019 are hereby requested to contact the Cantonment Board, Kamptee during working hours and submit their request within 30 days from the date of publication of this notice for renewal of lease alongwith willingness to make payment of rental and also to submit necessary documents for condonation of breaches, if any, where applicable.


(Mane Amitkumar Baburao)
Chief Executive Officer,
Cantonment Board, Kamptee.

पट्टेदारों के लिए नोटिस

छावणी भूमि प्रशासनिक नियम (सी एल ए आर) 1925 और 1937, छावणी कोड 1899 और 1912 के तहत रक्षा भूमि के पट्टेदार / पूर्व-अधिकाय व्यक्तियों की सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय (I) 1899 और 1912 के समाप्त हो चुके / समाप्त होने वाले छावणी कोड पट्टों का विस्तार और सीएलएआर 1925 और 1937 के तहत पट्टों।

यह निर्देश ऐसे पट्टों से संबंधित हैं जिसमें पट्टों की अवधि समाप्त हो गई है या 31.12.2019 से पहले समाप्त हो रही है या पट्टे का नवनीकरण जिनकी पहली और दूसरी अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन पट्टे की कुछ शर्तों के उल्लंघन के कारण नवनीकरण की मंजूरी नहीं दी गई है। यह भी सूचित किया जाता है कि, 31 दिसंबर 2019 को या उससे पहले की अवधि के समाप्त होने पर या उन पट्टों की पूर्ण अवधि समाप्त हो गई है ऐसे पट्टों का नवनीकरण 31 दिसंबर 2019 तक दिया जाएगा।

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय और पट्टेदार के बीच निष्पादित ऐसी संपत्तियों का पट्टा, जिनकी पूर्ण और अंतिम अवधि मूल पट्टा के अनुसार 31.12.2019 से पहले समाप्त हो रहे हैं या समाप्त हो गयी हैं, और इनमें कोई बेदखली के आदेश नहीं हैं या मुकदमेबाजी लंबित है और पट्टे / उप-पट्टे का हस्तांतरण या अधिकार पट्टे के पूर्ण अवधि के बाद किया गया हो, केवल उन मामलों को 31.12.2019 तक नवीनीकरण के लिए माना जाएगा।

ऐसी संपत्तियों के किराये का निर्धारण, पट्टे की समाप्ति की तिथि पर जो एसटीआर दर प्रचलित था, उसके आधार पर किया जाएगा। गोरा बजार तथा कमसरी बजार, कामठी छावणी स्थित GLR Sy No : 136/81, 136/98, 136/101, 136/115, 136/199, 136/200, 136/201, 136/204, 136/205, 136/210, 136/213, 136/214, 136/223, 136/247, 301/11-A, 301/12, 301/25, 301/44, 301/45, 301/47, 301/48, 301/49, 301/50 ये सभी पट्टों की अवधि समाप्त हो गई है या 31.12.2019 से पहले समाप्त हो रही है।

ऐसे पट्टे का किराया आवासीय, वाणिज्यिक और आकर्षक के उपयोग के आधार पर तय किया जाएगा।

ऐसे पट्टे का 31.12.2019 तक का विस्तार मूल पट्टे के नियमों और शर्तों के उल्लंघन को नियमित नहीं करेगा और इस अवधि तक किराए को स्वीकार करना केवल रक्षा भूमि के कब्जेदार का कब्जा नियमित करेगा।

जहाँ पट्टे के क्षेत्र के निकटवर्ती रक्षा भूमि पर अतिक्रमण किया हो, वहां सिर्फ अधिकृत पट्टे के क्षेत्र का ही नवनीकरण विचाराधीन रहेगा।

उपर दिये गये पट्टेदार / पट्टों में रहने वाले व्यक्तियों से तथा अन्य पट्टेदार जिनकी पूर्ण और अंतिम अवधि मूल पट्टा के अनुसार 31.12.2019 से पहले समाप्त हो रहे हैं या समाप्त हो गयी हैं, उनसे ये अनुरोध है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर, छावणी परिषद् कामठी कार्यालयीन समय के दौरान कार्यालय में संपर्क करें और पट्टे के नवनीकरण और पट्टे के किराए के भुगतान की इच्छा लिखित में दे। जहाँ नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो ऐसे उल्लंघनों के निपटान के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें।



(माने अमितकुमार बाबुराव)

मुख्य अधिशासी अधिकारी,

छावणी परिषद कामठी